

Subject : Economics

Class : B.A Part II (Paper IV)

Topic : Redemption of Public Debt

(सार्वजनिक ऋण लौटाने की विधियाँ)

By:

EKATA KUMARI

Guest Faculty

(Assistant Professor)

Mahila College Sasaram, Rohtas

Email ID:

bhaldwajekato@gmail.com

विधानों ने सार्वजनिक जघण चुकाने के कई तरीकों का उल्लेख किया है। "सार्वजनिक जघण अपैक्षाकृत आधुनिक घटना है तथा विश्व प्रजातंत्रीय सरकारों के विकास के साथ व्यवहार में आया है।" यह परिभाषा जे. के. मेहता के अनुसार दिया गया है।

सार्वजनिक जघण, राज्य द्वारा आय प्राप्त करने का एक साधन है। लोक अथवा सार्वजनिक जघण उस जघण को कहते हैं जिसे कि राज्य अपनी प्रजा से अथवा अन्य देशों के नागरिकों से लेता है। सरकार जब उधार लेती है तो उससे लोक जघण का जन्म होता है। डाल्टन के अनुसार "सार्वजनिक अधिकारियों की आय प्राप्त करने का एक ढंग सार्वजनिक जघण भी है।" रुडम रिमथ के अनुसार "सार्वजनिक जघण से युद्ध एवं फिजूलखर्ची जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।"

इस प्रकार सार्वजनिक जघण में दो प्रकार से कमी की जा सकती है :-

- (i) जघण निषेध
- (ii) जघण का भुगतान

(i) जघण निषेध :-

इसका आशय है कि जघण के भुगतान करने से इनकार करना। यह एक ऐसी प्रणाली है,

जिसमें सरकार ऋण के भार को नहीं मानती है और मूल धन तथा व्याज देने से इनकार कर देती है। यह नीति आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह की ऋणों के संबंध में अपनाई जाती है। विश्व के इतिहास में रूस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों द्वारा यह कहानी दुहराई जा चुकी है।

किंतु नैतिक दृष्टि से ऋण निषेध का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष इसी नीति का समर्थन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इससे मौद्रिक क्षेत्र में सरकार की सार्व संपाद हो जाती है और आगे ऋण लेने का मार्ग बंद हो जाता है। देश की राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पर सकती है। इसी प्रकार आंतरिक ऋणों को इनकार करने से देश के अंदर असांति फैल जाती है और कभी-कभी क्रांति की भी संभावना हो जाती है। प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति जनता के प्रतिकूल होने का भय होता है। इसलिए ऋण के भार को कम करने के लिए उसे चुका देना ज्यादा आंतिपूर्ण और उचित तरीका है। सार्वजनिक ऋण को चुकाने की मुख्य नीतियाँ नीम्न हैं :-

(a.) पूर्ण भुगतान :-

ऋण चुकाने का यह सबसे उच्च तरीका है। इसमें ऋण की अवधि पूरा होने पर मूल मूल धन के साथ-साथ व्याज भी चुका दी जाती है। इसमें सरकार की सार्व बनी रहती है और भविष्य में ऋण लेना आसान रहता है।

(b) वार्षिक वृत्ति :-

इस विधि के अंतर्गत सरकार दीर्घकालीन या स्थायी स्थाई व्ययों का भुगतान वार्षिक किस्मों में नियमित रूप से करती है अर्थात् सरकार व्यय सहित मूल व्यय की राशि को एक निश्चित मात्रा लौटाती रहती है।

इसमें व्यय की राशि धीरे-धीरे कम हो जाती है और एक निश्चित अवधि के बाद पूर्णतया समाप्त हो जाती है। इस प्रणाली का समर्थन गोल्ड स्टोन (Gold Stone) ने किया है।

(c) व्यय परिवर्तन :-

इस नीति में सरकार वर्तमान व्ययों का वास्तव में भुगतान नहीं करती बल्कि पुराने व्ययों को नये व्ययों में परिवर्तन कर देती है। इस विधि में व्ययों की बातें खर्च व्यय की दरों में परिवर्तन कर दिया जाता है। ऐसी प्रणाली निम्नलिखित दो कारणों से अपनाई जाती है :-

1. व्यय भुगतान की अवधि आ जाने पर सरकार भुगतान करने में समर्थ नहीं हो पाती है।
2. जब वर्तमान व्यय दरें पुराने दर से कम हैं।

यद्यपि इस विधि में वर्तमान व्यय भार में कम हो जाता है। लेकिन भावी व्यय

भार में आवश्यक वृद्धि हो जाती है। इसी आधार अधिकांश विद्वानों ने भुगतान की इस विधि का समर्थन नहीं किया है। डाल्टन ने अचण रूपांतरण को अचण प्रबंध की एक अत्यंत कमजोर विधि माना है तथा 'अनुचित विल व्यवस्था' कह कर इसकी आलोचना की है।

(d) अचण परिशोधन :-

अचण के भुगतान का यह एक नियमित, सुव्यवस्थित, शांतिपूर्ण, प्रभावशाली एवं सार्वजनिक प्रचलित तरीका है। यही कारण है कि इसका सबसे ज्यादा समर्थन किया जाता है। इस विधि का जन्मदाता इंग्लैंड का वॉलपॉल नामक विद्वान माना जाता है। इसलिये उन्हें *father of sinking fund* कहा जाता है।

इस नीति के अंतर्गत अचण भुगतान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा एक कोष का निर्माण किया जाता है तथा इस कोष में प्रतिवर्ष सार्वजनिक आय में से बचाकर कुछ धन राशि रख दी जाती है तथा उससे ही अचण पर व्याज और मूल धन का भुगतान किया जाता है।

कोष का निर्माण दो तरह से किया जाता है :-

1. सरकार की वार्षिक आय में से
2. निम्ने अचण लेकर कोष में डाल कर।

आजकल कोष की स्थापना अधिकतर

सरकार की वार्षिक आय में से ही की जाती है। डा. डाल्टन ने परिशोधन कोष को दो भागों में विभाजित किया है :-

1. निश्चित परिशोधन कोष
2. अनिश्चित परिशोधन कोष ।

पहले प्रकार के कोष में सरकार प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम जमा करती रहती है। जबकि दूसरे प्रकार के कोष में वह तभी धनराशि जमा करती है। जब उसे अपने वार्षिक वित्तीय बजट में कुछ अतिरिक्त प्राप्त होता है। यह राशि बजट में व्यय होने पर निर्भर करती है।

सरकार द्वारा निश्चित परिशोधन कोष की स्थापना चीमनलिरिबत तीन आधारों पर की जाती है :-

1. पहले तरीके के अंतर्गत तो कोष में प्रतिवर्ष जितनी रकम जमा की जाती है, उससे प्राप्त व्याज भी कोष में जमा कर दिया जाता है। इस प्रकार कोष की मात्रा तेजी से बढ़ती जाती है तथा अंत में अचण का भुगतान कर दिया जाता है।
2. दूसरे तरीके के अंतर्गत सरकार कोष की राशि से प्राप्त व्याज को प्रतिवर्ष अचण-दाताओं में बाँटती रहती है तथा इस भुगतान की मात्रा बराबर बनी रहती है।

3. तीसरे तरीके के अंतर्गत सरकार प्रतिवर्ष कोष की रकम पर व्यय की राशि से भी अधिक राशि का भुगतान ऋणदाताओं से करती जाती है। तथा इस तरह भुगतान की मात्रा बढ़ती रहती है।

प्रो. जे. के. मेहता ने ऋण परिशोधन कोष का समर्थन करते हुए लिखा है कि "ऋण परिशोधन कोष की पद्धति ऋण शोधन का सर्वोत्तम तरीका है। यह एक क्रमबद्ध प्रणाली है तथा कोई भी इसे किसी विशेष ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति में समाधोजित कर सकता है।"

(e) लॉटरी द्वारा भुगतान :-

इस विधि में ऋणों का भुगतान लॉटरी के आधार पर किया जाता है तथा जिस व्यक्ति का नंबर उना जाता है, उसी को ऋण का भुगतान कर दिया जाता है। इस रीति का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें ऋण दाता को ऋण मिलने के निश्चित समय का पता नहीं रहता है।

(f) क्रमानुसार भुगतान :-

इस विधि के अनुसार ऋण का भुगतान क्रम के अनुसार किया जाता है। इसमें जो ऋण पहले प्राप्त होते हैं, उनका भुगतान पहले ही कर दिया जाता है। इस प्रकार की विधि में प्रत्येक ऋण का कुछ भाग प्रतिवर्ष परिषद्व हो जाता

है। इस विधि का प्रयोग अमेरिका में स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाता है।

(9.) पूंजी कर :-

पूंजी कर भी भुगतान करने का एक तरीका है। पूंजी कर अस्थायी चरण भार को कम करने की दृष्टि से बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। युद्धकालीन चरणों को भार से मुक्ति पाने हेतु अनेक देशों की सरकारों ने इस विधि का प्रयोग किया है।

यह वह कर है जो व्यक्तियों की संपत्ति तथा उद्योग के ऊपर लगाया जाता है। जिसका आधार प्रगतिशील होता है। सर्वप्रथम संपत्ति की न्यूनतम कर रहित सीमा निर्धारण कर देती है ०% इस सीमा से ऊपर वाले प्रत्येक व्यक्ति पर बढ़ती हुई दरों से करारोपण किया जाता है।

निःसंदेह पूंजी का चरण शोधन का एक क्रांतिकारी तरीका है, लेकिन इसका प्रयोग अधिकारतः अनुत्पादक चरणों जैसे - युद्ध संबंधी चरणों के लिए अधिक किया जाता है। पूंजी कर के समर्थकों में रिकार्डो, पीगू, हैण्डसन, रजवर्थ, लॉरेंस आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके विरोध में जोसिया स्टाप, प्रीमती आरशाला हीक्स, पेन आदि हैं (पिन)।

पूंजी कर के पक्ष में जीमिन लिखित
तर्क दिये जाते हैं। जो इस प्रकार है :-

1. पूंजी कर द्वारा हम त्रचण से मुक्त हो जाते हैं, जिससे भारी कर भार में कमी आजाती है।
2. पूंजी कर समाज में व्याप्त उगम एवं संपत्ति के वितरण की विषमता को दूर करने में सहायक होता है।
3. पूंजी कर से मुद्रा - स्फीति में कमी आती है।
4. पूंजी कर के रूप में त्रचणों का भुगतान शीघ्रता एवं सरलता पूर्वक किया जा सकता है।
5. त्रचणों के भार से मुक्त हो जाने पर उद्योगों एवं व्यापार पर भारी माशा में कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका विकास सुचारु रूप से होता रहता है।
6. कर भार के मुक्त होने पर सरकार अपनी औद्योगिक माशा में समाज कल्याण पर खर्च कर सकती है। उन्हीं देश के विकास में योगदान दे सकती है।
7. चूंकि युद्धकाल में सर्वाधिक लाभ पूंजीपति वर्ग करता है, इसलिए पूंजी कर के रूप में आर्थिक सेवा लेना सर्वथा उचित एवं न्यायपूर्ण है।

पूँजी कर के विरुद्ध में भी कर दिये जाते हैं जो निम्न हैं :-

1. पूँजी कर को लगाने पर जागरिकों की कार्य करने, बचत करने की इच्छा एवं शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
2. पूँजी कर को लगाने से देश की पूँजी विदेशों की ओर जाने लगती है। जिसका देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
3. पूँजी कर से जनता में अविश्वास पैदा हो जाता है। देश में विनियोग कर्ता विनियोग करने से डरने लगते हैं।
4. पूँजी एवं संपत्ति का सही - सही मूल्यांकन करने में अनेक व्यावहारिक कठिनाईयों खड़ी हो जाती हैं।
5. पूँजी कर अन्यायपूर्ण है क्योंकि यह कम उपभोग करने वाले तथा बचत करने वालों पर एक ढण्ड के समान है।

प्रोमती अरसला हीक्स ने लिखा है कि "पूँजी कर देश की अर्थव्यवस्था के शरीर के ऊपर एक operation के समान है, जिससे या तो रोगी मर ही जाएगा या फिर अच्छा ही हो जाएगा।"